रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08032021-225708 CG-DL-E-08032021-225708

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93] No. 93] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 8, 2021/फाल्गुन 17, 1942 NEW DELHI, MONDAY, MARCH 8, 2021/PHALGUNA 17, 1942

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2021

सं. स्टैंड्स/एसपी-15/टी[टी(आईएम्एसटी)].—खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) संशोधन विनियम, 2018 का कितपय प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षा के अनुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. स्टैंड्स/एसपी-15/टी[टी(आईएम्एसटी)], तारीख 10 नवम्बर, 2020 द्वारा, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किये गए थे, जिसमे उन सभी व्यक्तियों से जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उक्त अधिसूचना के राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराये जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किये गए थे:

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 18 नवम्बर, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियम के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;

अत: अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातु:-

1421 GI/2021 (1)

विनियम

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) तृतीय संशोधन विनियम, 2021 है।
 - (2) ये तारीख 8 जून, 2021 से प्रवत्त होंगे।
- 2. खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011 में,-
 - (क) कतिपय अधिमिश्रण के विक्रय का प्रतिषेध से सम्बंधित विनियम 2.1 में, उप-विनियम 2.1.1 के खंड (10) के पश्चात निम्नलिखित खंड को अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात,-
 - "(11) 8 जून, 2021 को या उसके बाद निर्मित सरसों के तेल से युक्त कोई भी बहु स्रोतीय खाद्य वनस्पति तेल।"
 - (ख) "कतिपय उत्पादों के विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन" से सम्बंधित विनियम 2.3 में, उप-विनियम 2.3.14 के खंड (11) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जायेगा, अर्थात,-
 - "(11) बहु स्रोतीय खाद्य वनस्पित तेल का विक्रय खुली अवस्था में नहीं किया जायेगा। इसका विक्रय ऐसे सील किये गए पैकेज में किया जायेगा जिसका भार 15 किलोग्राम से अधिक न हो। बहु स्रोतीय खाद्य वनस्पित तेल का पैकेज हस्तक्षेपरोधी होगा। इसका विक्रय सिम्मिश्रण में प्रयोग किये गए तेल के सामान्य या वंश नाम से भी नहीं किया जायेगा बिल्क इसका विक्रय "बहु स्रोतीय खाद्य वनस्पित तेल" के रूप में किया जायेगा। सील किए गए पैकेज का विक्रय या विक्रय के लिए प्रस्थापना लेबल घोषणाओं जैसा कि विनियमों में प्रदान किया गया है के साथ लेबल घोषणाओं सिहत एगमार्क प्रमाणन चिह्न के अधीन की जाएगी।"

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन III/4/असा./528/2020-21]

नोटः मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या एफ.सं.2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए और पश्चातवर्ती निम्न अधिसूचना संख्याकों द्वारा संशोधित किए गए:–

- (i) फा. सं. 4/15015/30/2011, तारीख 8 फरवरी, 2013.
- (ii) फा. सं. मानक/ओएवंएफ/अधिसुचना(2)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 23 अगस्त, 2016
- (iii) फा. सं. मानक/एफएवंवीपी/अधि. (02)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 23 अगस्त, 2016
- (iv) फा. सं. मानक/ओएवंएफ/अधिसुचना(8)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 31 जुलाई, 2018
- (v) फा. सं. स्टैंड्स/ऐडीटिव-03/अधिसुचना/एफएसएसएआई/2018, तारीख 21 जुलाई, 2020 और
- (vi) फा. सं. मानक/ओएंडएफ/अधिसूचना(13)/एफएसएसएआई-2019, तारीख 2 फरवरी, 2021।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2021

No. Stds/SP-15/T[T(IMST)].—Whereas the draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, was published as required by sub-section (1) of section 92 of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 200), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number Stds/SP-15/T[T(IMST)], dated the 10th November, 2020, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 18th November, 2020;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 92 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011, namely: -

Regulations

- 1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Third Amendment Regulations, 2021.
 - (2) They shall come into force on 8th June, 2021.
- 2. In the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011,-
 - (A) in regulation 2.1 relating to "Sale of certain admixtures prohibited", in sub-regulation 2.1.1, after clause (10) the following clause shall be inserted, namely: -
 - "(11) Any Multi source edible vegetable oil containing Mustard Oil manufactured on or after 8th June, 2021."
 - (B) in regulation 2.3 relating to "Prohibition and Restriction on sale of certain products", in sub-regulation 2.3.14, for clause (11), the following shall be substituted, namely: -
 - "(11) The Multi Source Edible Vegetable Oil shall not be sold in loose form. It shall be sold in sealed package weighing not more than 15 Kilograms. The container having Multi Source Edible Vegetable Oil shall be tamper proof. It shall also not be sold under the common or generic name of the oil used in the blend but shall be sold as Multi Source Edible Vegetable Oil. The sealed package shall be sold or offered for sale only under AGMARK certification mark bearing the label declarations as provided in the Regulations besides other labelling requirements under the Regulation."

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./528/2020-21]

- **Note :** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended *vide* notification numbers:
 - (i) F. No. 4/15015/30/2011, dated the 8th February, 2013,
 - (ii) F. No. Stds/O&F/Notification (2)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016
 - (iii) F. No. Stds/F&VP/Notification (02)/FSSAI-2016, dated the 23rd August, 2016;
 - (iv) F. No. Stds/O&F/Notification (8)/FSSAI-2017, dated the 31st July, 2018;
 - (v) F. No. Stds/Additive-3/notification/FSSAI/2018, dated the 21st July, 2020; and
 - (vi) F. No. Stds/O&F/Notification(13)/FSSAI-2019, dated the 2nd February, 2021.